

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

ज्ञापांक-पी0पी0एम0-14/2017- 3877 /कृ0, पटना दिनांक 8/11/ , 2018
प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

#अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

#द्वारा - वित्त विभाग।

विषय - योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 167 वाहन के अतिरिक्त 16 वाहन लेने के लिए 31.68 लाख (एकतीस लाख अड़सठ हजार) रुपये एवं पूर्व के बकाये राशि के भुगतान में 16.3854 लाख (सोलह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ चालीस) रुपये कुल 48.06540 लाख (अड़तालीस लाख छः हजार पाँच सौ चालीस) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2580 दिनांक 04.07.2018 के क्रम में योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु सूत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए किराये पर वाहन लेने की योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 167 वाहन के अतिरिक्त 16 वाहन लेने के लिए 31.68 लाख (एकतीस लाख अड़सठ हजार) रुपये एवं पूर्व के बकाये राशि के भुगतान में 16.3854 लाख (सोलह लाख अड़तीस हजार पाँच सौ चालीस) रुपये कुल 48.06540 लाख (अड़तालीस लाख छः हजार पाँच सौ चालीस) रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा दिनांक 31.05.2018 को कृषि विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए अन्तर्गत कुल 167 वाहन किराये पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्संबंधी स्वीकृत्यादेश संख्या- 2580 दिनांक 04.07.2018 निर्गत है।

3. कृषि निदेशालय पूल में 6 (छः) अतिरिक्त एवं कतिपय क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए 10 (दस) तथा कृषि निदेशालय पूल एवं सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) औरंगाबाद के लिए बकाये राशि की स्वीकृति का प्रस्ताव है, जो अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

4. सभी पदाधिकारियों के द्वारा आवश्यकतानुसार ही वाहन रखा जायेगा। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा। योजनान्तर्गत बजट उपबंध की सीमा में व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना कार्यान्वयन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

6. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रु० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, माँग संख्या-1 उप शीर्ष-0106 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401001090106 विषय शीर्ष-0106.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	664.00	39.89429
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-1, उप शीर्ष-0106 इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007890106, विषय शीर्ष-0106.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	128.00	7.69046
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना माँग संख्या-1, उप शीर्ष- 0134 इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड 01-2401007960134, विषय शीर्ष- 0134.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	8.00	0.48065
कुल	800.00	48.06540

7. आवंटन तथा खर्च नियंत्रण के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561 दिनांक: 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 वि० दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 08.10.2018 को एवं माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या-पी०पी०एम०-14/2017 के पृ०सं०-63/टि० पर दिनांक 15.10.2018 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या पी०पी०एम०-14/2017 के पृ०सं०-66/टि. पर दिनांक- 01.11.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Robin

8.11.18

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-14/2017-

3877

/कृ०, पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Robin

8.11.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-14/2017-

3877

/कृ०, पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Robin

8.11.18

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-14/2017-

3877

/कृ०, पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. K. Pandey
8-11-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-14/2017-

3877

/कृ०, पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी तथा उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. K. Pandey
8-11-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या-14/2017-

3877

/कृ०, पटना, दिनांक 8/11/2018

प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक-सह-नियंत्रक, माप-तौल/अपर निदेशक (शष्प), प्रसार, बिहार, पटना/संबंधित उप निदेशक/संबंधित सहायक निदेशक/संबंधित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/संबंधित सहायक निदेशक/संबंधित संयुक्त निदेशक/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1
Sub

D. K. Pandey
8-11-18

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची- 1

कृषि विभाग के अधीन वित्तीय वर्ष, 2018-19 में विभिन्न पदाधिकारियों के लिए किराये पर वाहन हेतु स्वीकृत राशि/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की विवरणी।

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी	स्वीकृत भाड़े के वाहन की संख्या	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि निदेशालय बिहार, पटना का पूल (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	6	986040	190080	11880	1188000
2	उप निदेशक, उद्यान, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
3	उप निदेशक (रसायन), सहरसा (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
4	उप निदेशक (रसायन), दरभंगा (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
5	उप निदेशक (रसायन), गया (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
6	उप निदेशक (पौधा संरक्षण), सारण प्रमंडल, छपरा (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
7	उप निदेशक (शष्प), भूमि संरक्षण, औरंगाबाद (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
8	उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण), भूमि संरक्षण, कैमूर (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
9	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
10	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), बेगूसराय (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
11	उप निदेशक (पौधा संरक्षण), पूर्णिया (अक्टूबर 2018 से मार्च 2019)	1	164340	31680	1980	198000
	कुल	16	2629440	506880	31680	3168000

पूर्व के बकाये राशि

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी	अवधि	सामान्य वर्ग के लिए	अनुसूचित जाति के लिए	अनुसूचित जनजाति के लिए	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	कृषि निदेशालय का पूल (9 वाहनों के लिए)	वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16	1075680	207360	12960	1296000
2	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), औरंगाबाद	वित्तीय वर्ष 2014-15	202139	38966	2435	243540
3	सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण), औरंगाबाद	वित्तीय वर्ष 2015-16 अंतर्गत माह अप्रैल 2015 से जून 2015	82170	15840	990	99000
	कुल		1359989	262166	16385	1638540
	सकल योग		3989429	769046	48065	4806540

(अडतालीस लाख छः हजार पाँच सौ चालीस रुपये)

Handwritten signature